बिहार सरकार
आपदा प्रबधंन विभाग

दिनांक–20.07.2018 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में अल्प वर्षापात/संभावित बाढ़ से निपटने हेतु आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्रवाही।

1. उपस्थिति–संलग्न।

2. <u>भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)</u>

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि राज्य में अबतक औसत वर्षापात से 48 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। 19 प्रतिशत से अधिक विचलन वाले जिलों की संख्या 35 है। सामान्य वर्षापात वाले जिलों की संख्या मात्र 03 (बांका, मधुबनी एवं प0 चम्पारण) हैं। उनके द्वारा बताया गया कि दक्षिणी बिहार के जिलों में अगले तीन दिनों में हल्की एवं मध्यम वर्षा की सम्भावना है।

**विकास आयुक्त द्वारा वर्त्तमान स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए स्थिति पर निगरानी रखने का निदेश दिया गया।**

3. **कृषि विभाग**

प्रधान सचिव, कृषि विभाग के द्वारा बताया गया कि राज्य में धान के बीचड़ा का आच्छादन अभीतक 94.56 प्रतिशत है, जबकि धान रोपनी का आच्छादन मात्र 19.14 प्रतिशत है। मक्का का आच्छादन 57.88 प्रतिशत है। डीजल अनुदान के संबंध में बताया गया कि ऑन लाईन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। अबतक लगभग 3200 कृषकों का आवेदन प्राप्त हो चुका है। डीजल अनुदान की राशि वितरण की कार्रवाई दिनांक 23 जुलाई से प्रारंभ कर दी जाएगी।

आकस्मिक फसल योजना के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि वैकल्पिक फसलों के बीज की आवश्यकता का आकलन किया गया है, जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन धान, मक्का, तोरिया, ज्वार, मटर, अरहर, उड़द, बाजरा, कुल्थी, लोबिया, मुंग, मुंगफली, महुआ, पालक, मुली, चौलाई, भिंडी, मसुर, सुर्यमुखी एवं सोयाविन का बीज शामिल है। किए गए आकलन के अनुसार 675409.33 हेक्टेयर के आच्छादन हेतु 110635.67 क्वीं0 वैकल्पिक बीज की आवश्यकता होगी। कुल आवश्यकता का 10 प्रतिशत वैकल्पिक बीज के आपूर्ति के लिए संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जा चुका है। आवश्यकता के अनुरूप इसे बढ़ाया जाएगा।

**विकास आयुक्त द्वारा यह निदेश दिया गया कि डीजल सब्सिडी के संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से पुनः विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय ताकि अधिक से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हो सकें। वैकल्पिक फसल के संबंध में लंबी अवधि के लिए योजना बनाने का भी निदेश दिया गया। साथ ही विकास आयुक्त के द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि निर्धारित दर के अनुसार जो भी आपूर्तिकर्त्ता आपूर्ति करना चाहें उनसे कृषि विभाग वैकल्पिक बीज प्राप्त कर ले, इस संबंध में सरकार के स्तर से निर्णय प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग को आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए।**

4. **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया है कि राज्य में भु–जलस्तर की स्थिति के संबंध में बताया गया है कि राज्य में दक्षिण भाग के 17 जिलों में Median Value के आधार पर जुलाई 2017 की तुलना में जुलाई 2018 (प्रथम सप्ताह) में औसत भू–जलस्तर गिरावट वाले जिलों में शेखपुरा, भागलपुर 0'–01' के बीच, गया, भोजपुर, रोहतास 1'–2' के बीच, पटना, नालन्दा, जहानाबाद, बांका 2'–3' के बीच, नालन्दा, नवादा, कैमूर, मुंगेर – 3' से ऊपर तथा– औरंगाबाद, जमुई में 4' से ऊपर जलस्तर की कमी पायी गयी है।

राज्य के उत्तरी भाग के 21 जिलों का Median Value के आधार पर जुलाई 2017 की तुलना में जुलाई 2018 (प्रथम सप्ताह) में औसत भू–जलस्तर गिरावट वाले जिलों में बेगूसराय, कटिहार,

दरभंगा, प0 चम्पारण मधेपुरा, पूर्णियाँ, किशनगंज 0'–1' के बीच, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया – 1'–2' के बीच तथा वैशाली, सीवान, समस्तीपुर 2'–3' के बीच जलस्तर की कम पायी गयी है।

अबतक 86 टैंकरो के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, जिसमें नालन्दा जिला के राजगीर, बिहारशरीफ, रहूई प्रखण्ड, गया जिला के मोहरा, वजीरगंज, मानपुर, शरेघाटी, नगर प्रखण्ड, जहानाबाद जिला के रतनी, मकदूमपुर प्रखण्ड, औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद प्रखण्ड, रोहतास जिला के नौहटटा, शिवसागर, रोहतास प्रखण्ड, कैमुर जिला के भगवानपुर, अधौरा, दूर्गावती, चैनपुर, भभुआ प्रखण्ड, लखीसराय जिला के सुर्यगढ़ा प्रखण्ड, दरभंगा जिला के बहादूरपुर प्रखण्ड, वैशाली जिला के महुआ प्रखण्ड एवं मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखण्ड शामिल है। वर्त्तमान वर्ष 2018–19 में अबतक 34068 चापाकलों की मरम्मति करायी गयी है।

विकास आयुक्त द्वारा यह निदेश दिया गया कि अभियान चलाकर खराब चापाकलों की मरम्मति कराया जाय। पशुओं के लिए भी पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। भू–जल स्तर की लगातार निगरानी रखी जाय। उनके द्वारा निदेश दिया गया कि धान **cultivation** वाले जिलो के कम से कम एक प्रखण्ड के कुछ पंचायतों में भू–जल स्तर की जाँच कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाय ताकि भू–जल स्तर की वास्तविक स्तर का पता चल सके।

5. ग्रामीण विकास विभाग

अल्प वर्षापात की स्थिति के मद्देनजर लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था करने के संबधं में विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि मनरेगा के तहत विभाग के पास **Shelf of Schemes** तैयार होना चाहिए। मॉनसून अवधि में मिट्टी कार्य पर लगे रोक को हटाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर लिया जाय।

7. स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 में अल्पवृष्टि/अनावृष्टि वाले क्षेत्रों में संभावित सुखाड़ एवं उससे उत्पन्न होने वाली बिमारियों की रोकथाम हेतु अनुदेश पत्रांक–741 (11), दिनांक–20.07.2018 द्वारा निर्गत किया गया है तथा बाढ़ के मद्देनजर आवश्यक दवाओं, Snake venom, Antiserum, Rabies Vaccine, ORS, Halozen Tablet, Bleaching Powder एवं Lime का उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है साथ ही Flood Micro-action Plan, Mobile Medical Team, Boat Ambulance की व्यवस्था कर ली गयी है तथा भेद समूह की पहचान कर ली गयी है।

विकास आयुक्त द्वारा यह निदेश दिया गया कि दवाओं की उपलब्धता पर बराबर अनुश्रवण किया जाय।

8. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि पशु राहत कार्यो के संपादन हेतु पत्रांक–1362(नि0) दिनांक–09.05.2018 द्वारा कार्यकारी आदेश निर्गत किया गया है तथा चिन्हित बाढ़ राहत शिविरों की संख्या–1197 एवं चिन्हित सुखाड़ राहत शिविरों की संख्या–1312 हैं। बाढ़/सुखाड़ की स्थिति में पशु चारा–दाना की उपलब्धता हेतु दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण कर लिया गया है। पशु दवा का क्रय कर वितरण पशु चिकित्सालयों में कराया गया है। जिलों में दवा मद में 2.00 करोड़ रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। पशु रोग निरोधन हेतु टीकाकरण कराया जा चुका है साथ ही 50 चलन्त पशु चिकित्सालय (एम्बुलेट्री भान) की व्यवस्था की गयी है।

विकास आयुक्त द्वारा यह निदेश दिया गया कि पानी के उपलब्धता के आधार पर पशु शिविर स्थलों की पहचान की जाय।

9. **जल संसाधन विभाग**

जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा बताया गया कि सोन नहर प्रणाली के संबंध में बताया गया है कि सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 14843 घनसंक जलस्राव उपलब्ध है तथा प0 लिंक नहर के कुदरा वितरणी, कसेर वितरणी, बेतरी वितरणी, आरा मुख्य नहर के लहठान वितरणी, बिहियां शाखा नहर, कटेया वितरणी, कोईलवर वितरणी, डिलियां नरायणपुर वितरणी एवं जैतपुर वितरणी में नदी में पानी कम होने के कारण नहर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँचा है एवं पू0 लिंक नहर के रतनी वितरणी, फरीदपुर वितरणी तथा पटना मुख्य नहर में नदी में पानी की कमी के कारण नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँचा है। उत्तर कोयल नहर प्रणाली के संबंध में बताया गया है कि उत्तर कोयल नदी में 848 घनसंक जलस्राव उपलब्ध है। नदी में पानी की कमी के कारण नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुचाँ है।

गंडक नहर प्रणाली के संबंध में बताया गया है कि बाल्मीकीनगर बराज पर 119500 घनसंक जलस्राव उपलब्ध है, जिससे पूर्वी एवं पश्चिमी मुख्य नहरो में क्रमशः 9000 एवं 13000 घनसंक जलस्राव प्रवाहित किया जा रहा है। तिरहुत मुख्य नहर के बांध पर कटान भराई कर मजबुतीकरण कार्य के कारण जलस्राव कम प्रवाह हो रहा है। मुख्य प0 नहर में जलस्राव कम हो जाने के कारण निचले खंड के वितरणीयों में जलस्राव कम/शुन्य हो गया है। कोशी नहर प्रणाली के संबंध में बताया गया है कि वीरपुज बराज पर 125120 घनसंक जलस्राव उपलब्ध है जिससे पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 8500 एवं 3000 घनसंक जलस्राव प्रवाहित किया जा रहा है। जलाशय/वीयर योजनाएँ के संबंध में बताया गया है कि अंजान जलाशय, मोरबे जलाशय, नकटी जलाशय, कोलमहादेव जलाशय में जलसंचय स्तर में कमी है।

विकास आयुक्त द्वारा यह निदेश दिया गया कि स्थिति पर निगरानी रखी जाय तथा नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

10. **लघु जल संसाधन विभाग**

लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा बताया गया है कि कुल 10242 नलकूप के विरूद्ध 4874 नलकूप चालू स्थिति में है।

विकास आयुक्त द्वारा यह निदेश दिया गया कि नलकूपों को निजी लोगों को स्थानान्तरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिससे नलकूपों के द्वारा अधिक से अधिक सिंचाई की जा सके।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–
विकास आयुक्त
बिहार

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

**प्रतिलिपिः**– प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग /लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, फुलवारी शरीफ, पटना/कार्यपालक अभियंता, मिडिल गंगा डिवीजन–5, केन्द्रीय जल आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(एम0 रामचन्द्रुडु)
अपर सचिव

ज्ञापांक ........................../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

**प्रतिलिपि**:– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव

ज्ञापांक ......2101..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 31/7/18

**प्रतिलिपि**:– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब साईड पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/07/18

अपर सचिव

(५०)

(1)